फर्द अहकाम

[न्याया]लय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

मोहनलाल बनाम आंकल कन्ना

[मुकद्द]मा संख्या/वर्ष : दावा 65/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने अपनी बहस मे प्रा०पत्र 07 R11 CPC में अंकित तथ्यो को दोहराते प्रा०पत्र स्वीकार करते हुऐ वादी का वाद खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 के पिता से जरिये इकरारनामा दिनांक 26/9/1987 मे खरीदी है। मौके पर वादी का कब्जा है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC खारिज किया जावे। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, इकरारनामा, प्रा०पत्र 07 R11 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्ष की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादी ने वादग्रस्त आराजी ख०न० 196/538 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम गंवार ब्राह्मणान तहसील सांगानेर जिला जयपुर को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ईश्वर सिंह से जरिये अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 26/9/1987 मे खरीदी है। जिसका हाल ख०न० 378 रकबा 0.45 है० बने है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 वाके ग्राम गंवार ब्राह्मणान तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 10 मे आराजी ख० न० 378 रकबा 0.45 हे० मे ईश्वरसिंह पुत्र किशनसिंह कौम राजपूत सा० हाल जयपुर दर्ज है। प्रार्थी/वादी इकरारनामा दिनांक 26/9/1987 के आधार पर स्वंय को अधिकार सृजित होना कहता है वादी ने अपंजीकृत फोटो प्रति इकरारनामा दावे मे पेश की है। जिसमे मोहनलाल पुत्र श्री ……… तथा मोहरू पुत्र रामपाल ……… संरक्षक रामपाल जातिय कुम्हार (प्रजापत) ……… ग्राम गंवार ब्राह्मणान पंचायत ……… जिला जयपुर के पक्ष ……… अंकित है जो अपंजीकृत इकरारनामा है। प्रथम दृष्टया अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी को खातेदारी अधिकार सृजित नही होते है वादी	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:56:53 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष / 20

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		ने ऐसा कोई दस्तावेजात, रिकार्ड, अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसका कब्जा साबित हो। अतः प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या-1 का प्रा0पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवादी संख्या-1 का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पृथक से पर्चा डिक्री तैयार कर पेश करें। निर्णय आज दिनांक 7/6/24 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया। पत्रावली नम्बर लेकर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।
		उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:56:53 IST
Reason: SelfAttested